

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 763
TO BE ANSWERED ON 13TH DECEMBER, 2022**

CGHS WELLNESS CENTRES IN ANDHRA PRADESH

763. SHRI MASTHAN RAO BEEDA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

- (a) The details of criteria fixed for selection of cities under CGHS;
- (b) The details of CGHS Wellness Centres presently functioning in Andhra Pradesh;
- (c) The details of CGHS Wellness Centres that have been established in the State during the last three years;
- (d) Whether Government proposes to establish CGHS Wellness Centers in the Tier-2 cities of Andhra Pradesh; and
- (e) If so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?

ANSWER

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND
FAMILY WELFARE
(DR. BHARATI PRAVIN PAWAR)**

(a) to (e) As per extant norms, a minimum number of 6000 Central Government serving employees residing in a city is required for opening of a new CGHS Wellness Centre. Government considers opening of new CGHS Wellness Centres as per extant norms, subject to availability of resources and creation of posts with the approval of Department of Expenditure, Ministry of Finance. There are six Wellness Centres in Andhra Pradesh, out of which, one was opened in 2017-18 at Visakhapatnam and five postal dispensaries at Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur and Nellore, were taken over in 2019-20. The Wellness Centres are established as per extant norms of CGHS.

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 763
दिनांक 13 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आंध्र प्रदेश में सी.जी.एच.एस. आरोग्य केन्द्र

763 श्री मस्थान राव बीडा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले शहरों के चयन हेतु निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कार्यशील सी.जी.एच.एस. आरोग्य केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में स्थापित किए गए सी.जी.एच.एस. आरोग्य केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश के टियर-2 शहरों में सी.जी.एच.एस. आरोग्य केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): मौजूदा मानदंडों के अनुसार, एक नये सीजीएचएस आरोग्य केंद्र को खोलने के लिए किसी शहर में रहने वाले केंद्र सरकार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम 6000 होनी अपेक्षित है। सरकार व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से संसाधनों की उपलब्धता और पदों के सृजन के अध्यधीन मौजूदा मानदंडों के अनुसार नये सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों को खोलने का विचार करती है। आंध्रप्रदेश में छः आरोग्य केंद्र हैं, उनमें से एक 2017-18 में विशाखापट्टनम में खोला गया था और वर्ष 2019-20 में विशाखापट्टनम, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, गुंटूर और नेल्लौर में पांच पोस्टल डिस्पेंशरियां अधिग्रहित की गई। सीजीएचएस के मौजूदा मानदंडों के अनुसार आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाते हैं।
